राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

E-mail- smsa.asfc2021@gmail.com

क्रमांकः रास्कूशिप/जय/वै.शि./यूथ एवं ईको क्लब दिशा–निर्देश/2024–25/ दिनांक :–

सदन आधारित यूथ एवं ईको क्लब दिशा निर्देश 2024–25

"वृक्ष है तो जल है, जल है तो कल है।"

यूथ एवं ईको क्लब –

(1) **यूथ क्लब के तहत** बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास विकसित करने तथा तनाव, भय एवं संकोच जैसे मनोविकारों को दूर कर सोच में लचीलापन विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में यूथ क्लब की स्थापना की गयी है।

(2) **ईको क्लब के तहत** बच्चों को अपने आस–पास के पर्यावरण, जैव–विविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण गतिविधियों एवं प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में ईको क्लब की स्थापना की गयी है। विशेष रूप से विद्यार्थियों में स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की समझ विकसित की जानी है।

(3) विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण हेतु हरित पाठशाला एवं विद्यालय वाटिका/किचन गार्डन को लागू करने के लिये ईको क्लब पुर्नगठित करना। साथ ही बच्चों में पर्यावरण की समझ, संरक्षण के महत्व, वातावरण को स्वच्छ बनाना, वृक्षारोपण व संरक्षण आदि कार्य को यूथ एवं ईको क्लब अन्तर्गत विद्यार्थियों को भी सहभागी बनाया जाये।

(4) ईको क्लब के गठन का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम कर जलवायु के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना।

(5) विश्व पर्यावरण की थीम **"ईको सिस्टम रिस्टोरेशनः रीइमेजिन (फिर से बनाना) एवं पुर्नस्थापना"** करने के उद्देश्य की क्रियान्विति हेतु राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये उष्ण व अर्द्ध शुष्क जलवायु में हरियाली को बनाये रखना, जल संरक्षण एवं वनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है।

यूथ एवं ईको क्लब गठन की प्रक्रिया :–

1. **प्रत्येक विद्यालय में यूथ एवं ईको क्लब के तहत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिये यूथ एवं ईको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) बनाये जायेंगे इनके नाम – पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि होंगे। इसी प्रकार कक्षा 9 से 12 के लिये यूथ एवं ईको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) बनाये जायेंगे इनके नाम – पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि होंगे।**
2. विद्यालय संस्था प्रधान यूथ एवं ईको क्लब के प्रभारी अधिकारी होंगे।
3. संस्था प्रधान (प्रभारी अधिकारी) की भूमिका सहायक, मार्गदर्शक एवं कार्यक्रम के लिये सुविधा उपलब्ध कराने की होगी। विद्यालय में हाऊस व्यवस्था के तहत यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों को संचालित करने की समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।
4. संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक/शिक्षिका को सदन (हाऊस) का प्रभार दिया जायेगा। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या सदन (हाऊस) की संख्या से अधिक होने की स्थिति में कुछ सदनों के लिये एक से अधिक प्रभारी शिक्षक/शिक्षिका बनाये जायेंगे। विद्यालय में सदन (हाऊस) से कम शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में कुछ शिक्षकों को एक से अधिक सदन (हाऊस) का प्रभारी शिक्षक नियुक्त किया जायेगा। वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ शैक्षिक कार्मिक को अपेक्षाकृत अधिक सदन (हाऊस) का प्रभार दिया जायेगा।
5. प्रारम्भिक शिक्षा की प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को पांच भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग के विद्यार्थी को एक सदन (हाऊस) के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा की कक्षाओं के पांचों सदनों में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का समान संख्या में प्रतिनिधित्व हो सकेगा। इसी प्रक्रिया के तहत माध्यमिक शिक्षा की कक्षाओं के लिये पांच सदन बनाये जायेंगे।

RajKaj Ref
7397048

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.05.26 [illegible]:16:22 IST
Reason: Approved

6. इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में यूथ एवं ईको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) कार्य करेंगे एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में यूथ एवं ईको क्लब के तहत उन्हीं नाम से पांच सदन (हाऊस) कार्य करेंगे।
7. विद्यालय में नव प्रवेशित विद्यार्थी जिस सदन (हाऊस) का सदस्य बनेगा विद्यालय की अन्तिम कक्षा तक उसी सदन (हाऊस) का सदस्य रहेगा।
8. प्रत्येक सदन (हाऊस) की गतिविधियों को प्रभारी शिक्षक/शिक्षकों द्वारा संचालित करवाया जायेगा। प्रत्येक सदन (हाऊस) में सभी विद्यार्थियों का स्तर समान होगा। विद्यार्थियों में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ जैसी व्यवस्था को विकसित नहीं करनी है। सदन (हाऊस) की गतिविधियों को संचालित करने में विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा। अच्छा प्रदर्शन करने के लिये बच्चों को प्रोत्साहित किया जायेगा एवं प्रत्येक बच्चे को समान रूप से अवसर प्रदान किया जायेगा।
9. पांच मूल तत्व आधारित नामों में से जिस नाम तत्व से सम्बन्धित सदन (हाऊस) में विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है, उस सदन (हाऊस) के नाम के अनुरूप विषय पर विद्यार्थियों के लिये **भाषण, निबन्ध लेखन, पत्र लेखन, पोस्टर बनवाना, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करवायी जायें। साथ ही भाषा, सामाजिक विज्ञान के विषय यथा भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा विज्ञान संकाय के विषयों यथा जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित तथा खगोल विज्ञान (एस्ट्रोनोमी) आदि को सदन (हाऊस) के नाम से साथ जोड़ते हुए विषय एवं प्राकृतिक मूल तत्व की महत्वता एवं सम्बद्धता को समझाने का उपक्रम विद्यार्थियों से करवायें।**
10. सदस्य विद्यार्थीगणों को उनके स्वयं के नाम के अर्थ को समझाते हुए उसे अपने सदन (हाऊस) के नाम के परिप्रेक्ष्य में सम्बद्ध करने के प्रयास के लिये प्रेरित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को सदन (हाऊस) के नाम का महत्व बतलाते हुए इस नाम की अन्य विषयों से सम्बद्धता को इन्टरनेट, पत्र–पत्रिकाओं इत्यादि स्त्रोतों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा वे अपने सदन के नाम को समग्र रूप से समझ सकेंगे एवं अन्य विषयों से सम्बद्ध कर सकेंगे।
11. प्रत्येक सदन (हाऊस) में यूथ एवं ईको क्लब की समस्त गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। ये गतिविधियां प्रभारी शिक्षक/शिक्षकों के निर्देशन में संचालित की जायेंगी।
12. समस्त विद्यार्थियों को यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
13. समय–समय पर प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यार्थियों के पांचों सदन (हाऊस) के मध्य यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों की प्रतियोगिता आयोजित की जायेंगी एवं विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कृत किया जायेगा। इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के पांचों सदनों के मध्य आयोजित की जायेंगी।
14. यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से बाल सभा के दौरान गतिविधि का प्रदर्शन कराया जायेगा।
15. विद्यार्थी उपस्थिति रजिस्टर में विद्यार्थी के नाम के सम्मुख उसके सदन (हाऊस) का नाम भी अंकित किया जाये ताकि विद्यार्थी को सदन (हाऊस) के नाम से भी पहचाना जाये।
16. विद्यालय की प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक सदन (हाऊस) का रजिस्टर संधारित किया जायेगा। **रजिस्टर के मुख्य पृष्ठ पर यूथ एवं ईको क्लब तथा सदन (हाऊस) का नाम अंकित होगा।** रजिस्टर में सदन (हाऊस) के विद्यार्थियों के नाम व कक्षा अंकित होगी। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी की रूचि की गतिविधि अंकित की जायेंगी। आयोजित की गई प्रत्येक गतिविधि का संक्षिप्त विवरण एवं दिनांक तथा आयोजन की समयावधि अंकित कर नोडल अधिकारी व संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
17. विद्यालय अवलोकन के समय संस्थाप्रधान द्वारा अवलोकन अधिकारी को ''यूथ एवं ईको क्लब रजिस्टर'' का अवलोकन करवाया जाकर हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

RajKaj Ref
7397048

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.05.26 1?:16:22 IST
Reason: Approved

गतिविधियाँ:—

➢ यूथ क्लब गतिविधियाँ:—

- यूथ क्लब गतिविधियों में <u>**क्विज प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता, संगीत, कला एवम् सांस्कृतिक गतिविधियां**</u> इत्यादि शामिल किया जाए।
- विद्यालयों में अनुपयोगी सामग्रियों को उपयोगी बनाने हेतु विद्यार्थियों के रचनात्मक, कार्य कौशल बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के अवसर प्रदान किये जाए। इस हेतु विद्यार्थियों को गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों का मार्गदर्शन/सहयोग लिया जाये।
- विद्यार्थियों को सड़क पर पैदल चलने एवं वाहन चलाने के नियमों की जानकारी दिए जाने हेतु कार्यशाला का आयोजन करवाया जाए।

➢ ईको क्लब गतिविधियाँ:—

- वृक्षारोपण, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर आधारित चल–चित्रों का प्रदर्शन, अभिभावकों व सेवानिवृत्त एवं सेवारत राजकीय अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, कोच, पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों की वार्ता का आयोजन करवाया जाए।
- विद्यालय की समस्त भौतिक सुविधाऐं यथा बालक बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक सुविधाओं युक्त शौचालय–मूत्रालय, पेयजल एवं हाथ धुलाई व्यवस्थाए क्रियाशील होनी चाहिये।
- **विद्यालय में चारदीवारी, पर्याप्त भूमि एवं जलस्त्रोत उपलब्ध होने की स्थिति में पोषण वाटिका एवं फलदार पौधों एवं किचन गार्डन को लगाया जाये।**
- राशि का उपयोग कचरा पात्र (नीला व हरा), जल निकासी की सुचारू व्यवस्था, वृक्षारोपण, पानी की टंकी की सफाई, ट्री गार्ड इत्यादि में किया जाए।
- विद्यालय में सघन वृक्षारोपण कार्य करवाया जाना अनिवार्य है। चारदीवारी विहीन विद्यालयों में ऐसे पौधे लगाए जाए, जो चारदीवारी का कार्य करें साथ ही जिन्हें पशु नहीं खाते हो।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पर्यावरण संरक्षण तथा वृक्षों के अभाव में होने वाले नुकसान जैसे विषयों पर विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताए यथा निबन्ध, चित्रकला, भाषण, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं, नक्कट नाटक इत्यादि का आयोजन किया जाए।
- बच्चों में अपने स्थानीय पर्यावरण की समझ विकसित करने के लिए वहाँ उगने वाले पौधे, घास, फलदार वृक्षों की जानकारी दी जाए तथा इनके संरक्षण के सम्बन्ध में कार्यक्रम आयोजि करवाए जाए।
- रोपित किए गए वृक्षों के संरक्षण का कार्य पूर्ण आत्मीयता के साथ किया जाए।

राशि उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश व निर्धारित समय सीमा —

1. **राशि उपयोग की सुनिश्चितता निम्नलिखित चरणबद्ध समय सीमा में किया जाना है —**

जुलाई से सितम्बर	अक्टूबर से नवम्बर
80%	20%

2. बजट प्राप्त होने पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

क्र.स.	सामग्री का नाम	प्राथमिक विद्यालयों के लिए राशि व्यय के प्रावधान	उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए राशि व्यय के प्रावधान	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए राशि व्यय के प्रावधान
1	स्टेशनरी, पेन, पेन्सिल इत्यादि	500	500	1000
2	यूथ क्लब की गतिविधि	1500	3500	5500
3	विद्यालय में साफ–सफाई, स्वच्छता इत्यादि हेतु	1500	2500	3000
4	ईको क्लब की गतिविधि	1500	3500	5500
	कुल राशि	**5000**	**10000**	**[illegible]**

RajKaj Ref 7397048

नोट — उक्त टेबल की क्रम संख्या 04 में वर्णित ईको क्लब की गतिविधि की राशि का उपयोग वृक्षारोपण में किया जाना है।

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.05.26 [illegible]:16:22 IST
Reason: Approved

जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य –

- डाइस 2022–23 में प्रविष्ट राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के 51772 एवं माध्यमिक शिक्षा मद के 17418 विद्यालयों के लिये बजट का प्रावधान स्वीकृत है (शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को छोड़ते हुये)।

Youth & Eco Budget 2024-25

S.No.	District	PS	Finaincial @ Rs. 5,000/-	UPS	Finaincial @ Rs. 10,000/-	Secondary & Sr. Secondary	Financial @ Rs. 15,000/-	Total School	Total Financial in lac
1	AJMER	658	32.90000	605	60.50000	613	91.95000	1876	185.35000
2	ALWAR	981	49.05000	977	97.70000	886	132.90000	2844	279.65000
3	BANSWARA	2340	117.00000	460	46.00000	521	78.15000	3321	241.15000
4	BARAN	863	43.15000	397	39.70000	331	49.65000	1591	132.50000
5	BARMER	2741	137.05000	1157	115.70000	958	143.70000	4856	396.45000
6	BHARATPUR	626	31.30000	556	55.60000	593	88.95000	1775	175.85000
7	BHILWARA	1373	68.65000	901	90.10000	631	94.65000	2905	253.40000
8	BIKANER	1085	54.25000	453	45.30000	575	86.25000	2113	185.80000
9	BUNDI	604	30.20000	371	37.10000	291	43.65000	1266	110.95000
10	CHITTAURGARH	769	38.45000	619	61.90000	437	65.55000	1825	165.90000
11	CHURU	380	19.00000	471	47.10000	592	88.80000	1443	154.90000
12	DAUSA	715	35.75000	423	42.30000	439	65.85000	1577	143.90000
13	DHAULPUR	534	26.70000	302	30.20000	306	45.90000	1142	102.80000
14	DUNGARPUR	1866	93.30000	418	41.80000	453	67.95000	2737	203.05000
15	GANGANAGAR	870	43.50000	569	56.90000	513	76.95000	1952	177.35000
16	HANUMANGARH	305	15.25000	374	37.40000	431	64.65000	1110	117.30000
17	JAIPUR	1514	75.70000	1142	114.20000	1121	168.15000	3777	358.05000
18	JAISALMER	773	38.65000	285	28.50000	252	37.80000	1310	104.95000
19	JALOR	916	45.80000	515	51.50000	449	67.35000	1880	164.65000
20	JHALAWAR	755	37.75000	594	59.40000	341	51.15000	1690	148.30000
21	JHUNJHUNU	472	23.60000	515	51.50000	557	83.55000	1544	158.65000
22	JODHPUR	1911	95.55000	841	84.10000	851	127.65000	3603	307.30000
23	KARAULI	728	36.40000	366	36.60000	357	53.55000	1451	126.55000
24	KOTA	356	17.80000	410	41.00000	331	49.65000	1097	108.45000
25	NAGAUR	1327	66.35000	889	88.90000	855	128.25000	3071	283.50000
26	PALI	614	30.70000	670	67.00000	558	83.70000	1842	181.40000
27	PRATAPGARH	1189	59.45000	268	26.80000	278	41.70000	1735	127.95000
28	RAJSAMAND	857	42.85000	515	51.50000	362	54.30000	1734	148.65000
29	SAWAI MADHOPUR	460	23.00000	310	31.00000	334	50.10000	1104	104.10000
30	SIKAR	641	32.05000	682	68.20000	684	102.60000	2007	202.85000
31	SIROHI	505	25.25000	228	22.80000	278	41.70000	1011	89.75000
32	TONK	661	33.05000	479	47.90000	376	56.40000	1516	137.35000
33	UDAIPUR	2833	141.65000	788	78.80000	864	129.60000	4485	350.05000
	TOTAL	33222	1661.10000	18550	1855.00000	17418	2612.70000	69190	6128.80000

RajKaj Ref
7397048

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.05.26 [illegible]:16:22 IST
Reason: Approved

लेखा सम्बन्धी बिन्दु –

- इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
- किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाये।
- राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पादरर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

अन्य निर्देश –

- संलग्न परिशिष्टानुसार विद्यालय / ब्लॉक से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकल रूप से जिला उपयोगिता प्रमाण पत्र कर परिषद का प्रेषित करें।

यूथ एवं इको क्लब बोर्ड का प्रारूप

विद्यालय के मुख्यद्वार पर इस प्रारूप में बोर्ड प्रदर्शित किया जायेगा

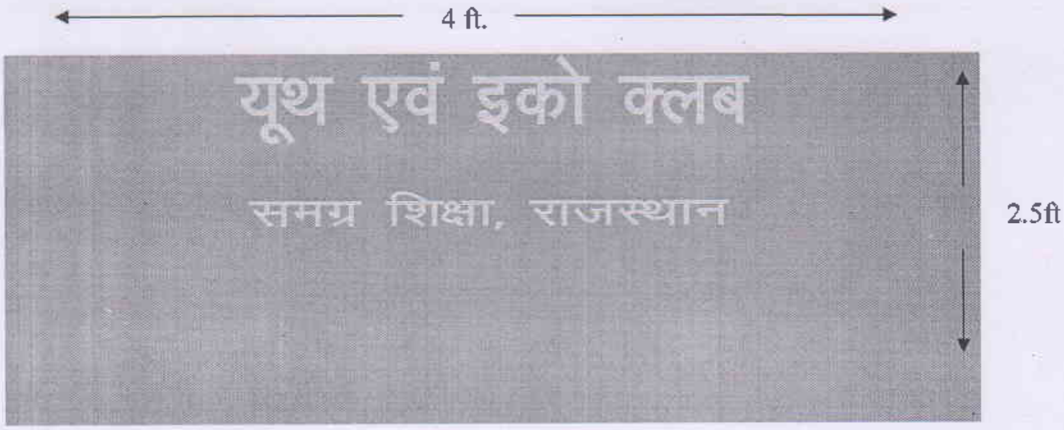

RajKaj Ref
7397048

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.05.26 ?:16:22 IST
Reason: Approved

यूथ एवं ईको क्लब
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर) 2024–25

विद्यालय का नाम .... **यू–डाईस कोड**......................

यूथ एवं ईको क्लब प्राप्त राशि .... **दिनांक** ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024–25 में प्राप्त यूथ एवं ईको क्लब राशि रू. .... का उपयोग एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि....................रूपये है।

क्र. सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा / संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पृ.सं.	दिनांक	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एसडीएमसी के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
एसएमसी/एसडीएमसी

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
एसएमसी/एसडीएमसी

RajKaj Ref
7397048

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.05.26 16:16:22 IST
Reason: Approved

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

यूथ एवं ईको क्लब
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (ब्लॉक स्तर) 2024–25

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024–25 में ब्लॉक .... जिला .... के .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी की गई यूथ एवं ईको क्लब की राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा यूथ एवं ईको क्लब हेतु परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :–

क्रस	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	विद्यालय का प्रकार माबि / उमावि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	वि.वि.
योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
सीबीईओ कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

RajKaj Ref
7397048

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.05.26 [illegible]:16:22 IST
Reason: Approved

यूथ एवं ईको क्लब
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (जिला स्तर) 2024–25

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024–25 में जिला .... को यूथ एवं ईको क्लब मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... कुल .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. एवं प्रबन्ध पोर्टल पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर **सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी**	**हस्ताक्षर** **सहायक लेखाधिकारी**
हस्ताक्षर **अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक**	**हस्ताक्षर** **जिला परियोजना समन्वयक**

प्रबन्ध पोर्टल एवम् एस.एन.ए. की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

सक्षम स्तर से अनुमोदित आदेश।

(सुरेश कुमार बुनकर)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय

क्रमांकः– रास्कूलशिप / जय / औ.शि. / यूथ एवं ईको क्लब दिशा–निर्देश / 2024–25 / **दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य प्ररियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशालय निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त दिशा निर्देश की क्रियान्विति के लिये संयुक्त निदेशक / सीडीईओ / जि.शि.अ.प्रा. एवं मा. / सीबीईओ / सीआरसी को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम / द्वितीय), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. जिला परियोजना समन्वयक, अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
7. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, परिषद कार्यालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7397048

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.05.26 1?:16:22 IST
Reason: Approved